



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233459
CG-DL-E-16022022-233459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 648]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 667(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 13 से कि.मी.15.73 (तहसील नागपूर ग्रामीण) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28.12.2021 " को "लोकमत टाइम्स" और "सकाळ " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 13 से कि.मी.15.73 (तहसील नागपूर ग्रामीण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: नागपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नागपूर (ग्रामीण)				
	गांव का नाम: गोन्हि खुर्द				
1	19	निजी(एग्रिकल्चर (क्लास-1))	एग्रिकल्चर (क्लास-1)	0.18	अजीत अशोक कुमार, प्रभाकर मुकुंदजी आवळे, बिंदू अजीत कुमार सिंह, राजेश लक्ष्मण सिंघनापुरे(0.13), राजकुमार सत्यनारायण यादव, राहुल राजकुमार यादव (0.05) (19/1,19/3)
	गांव का नाम: येरला				
2	122/2	निजी(नॉन - एग्रिकल्चर(क्लास-1))	नॉन -एग्रिकल्चर (क्लास-1)	0.16	राव यशपाल आर्य वाल्ड राव हरिश्चंद्र आर्य(0.16) (122/2)
3	124/B	निजी(एग्रिकल्चर(क्लास-1))	एग्रिकल्चर (क्लास-1)	0.08	तेजराव नारायणराव काळमेघ(0.08) (124/बी)
4	87	निजी(नान-एग्रिकल्चर(क्लास-1))	नॉन-एग्रिकल्चर(क्लास-1)	0.47	राजीव रामकुमार मिश्रा, संजीव रामकुमार मिश्रा(0.47) (87)
5	GAOTHAN	सरकारी(गवर्नमेंटऑफ़)	गवर्नमेंटऑफ़	0.22436	बुद्ध विहार (0.0132), दशरथ गणपत

		महाराष्ट्र (गावठान))	महाराष्ट्र (गावठान)		राऊत (0.0062), पूजा दशरथ राऊत (0.0062), सेवा सहकारी सोसाइटी (0.014), वैशाली बबनराव राऊत (0.011), मुरलीधर बाबूराव काळमेघ (0.011), ग्रामपंचायत येरला (0.0090), लोकनाथ लक्ष्मण मिसाड (0.0090), ग्रामपंचायत येरला (0.0200), प्रभाकर व्यंकटराव चौधरी (0.0078), अन्नाजी व्यंकटराव चौधरी (0.0078), सुधाकर दिगांबर मानकर (0.0021), गोपाल दिगांबर मानकर (0.0067), सुधाकर दिगांबर मानकर (0.0052), प्रमिला मिसाड (0.0022), नंदा मोरेश्वर वर्धी (0.0049), विमलबाई देवाजी गावंडे (0.0070), प्रल्हाद माणिकराव कावळे (0.0076), मनोहर गुलाबराव काळमेघ (0.0072), अनिल गोविंदा काळमेघ (0.0054), मनोज माणिकराव वाघ (0.0040), भगवान झिबाल मिसाड (0.0024), हर्षल यशवंत गमे (0.0147), किशोर मोरबाजी गमे (0.0077), हनुमंत श्यामराव शेळके (0.0063), संजय श्यामराव शेळके (0.0054), अनीता राजेंद्र खरे (0.0045), नामदेव गडी वानखेडे (0.0063), अशोक कवडूजी तायवाडे (0.0058), प्रभाकर कवडूजी तायवाडे (0.0024), लोकनाथ लक्ष्मण मिसाड (0.00136) (गावठान)
			कुल	1.11436	

[फा. सं. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 667(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH353J on the stretch of land from Km. 13 to Km. 15.73 (Tahsil Nagpur Rural) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat Times” and “Sakal” both dated 28.12.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH353J in the stretch of land from Km. 13 to Km. 15.73 (Tahsil Nagpur Rural) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: NAGPUR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nagpur (Rural)				
	Village: Gonhi Khurd				
1	19	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.18	Ajit Ashok Kumar, Prabhakar Mukundaji Aawde, Bindu Ajit Kumar Singh, Rajesh Laxman Singhnapure(0.13), Rajkumar Satyanarayan Yadav, Rahul Rajkumar Yadav(0.05) 19/1,19/3
	Village: Yerla				
2	122/2	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.16	Rao Yashpal Arya Wald Rao Harishchandra Arya(0.16)

					122/2
3	124/B	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.08	Tejrao Narayanrao Kalmegh(0.08) 124/B
4	87	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.47	Rajeev Ramkumar Mishra, Sanjeev Ramkumar Mishra(0.47) 87
5	GAOTHAN	Government(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(CLASS-1))	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(CLASS-1)	0.22436	Budh Vihar(0.0132), Dashrath Ganpat Raut(0.0062), Puja Dashrath Raut(0.0062), Seva Sahkari Society(0.014), Vaishali Babanrao Raut(0.011), Murlidhar Baburao Kalmegh(0.011), Grampanchayat Yerla(0.0090), Loknath Laxman Misad(0.0090), Grampanchayat Yerla(0.0200), Prabhakar Vyankatrao Chaudhary(0.0078), Annaji Vyankatrao Chaudhary(0.0078), Sudhakar Digambar Mankar(0.0021), Gopal Digambar Mankar(0.0067), Sudhakar Digambar Mankar(0.0052), Pramila Misad(0.0022), Nanda Moreshwar Warthi(0.0049), Vimalbai Devaji Gawande(0.0070), Prahlad Manikrao Kawde(0.0076), Manohar Gulabrao Kalmegh(0.0072), Anil Govinda Kalmegh(0.0054), Manoj Manikrao Wagh(0.0040), Bhagwan Jhibal Misad(0.0024), Harshal Yashwant Game(0.0147), Kishor Morbaji Game(0.0077), Hanumant Shyamrao Shedke(0.0063), Sanjay Shyamrao Shedke(0.0054), Anita Rajendra

					Khare(0.0045), Namdev Gadi Wankhede(0.0063), Ashok Kavduji Taiwade(0.0058), Prabhakar Kavduji Taiwade(0.0024), Loknath Laxman Misad(0.00136) Gaothan
			TOTAL	1.11436	

[F. No. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Director